मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 172] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2010—चैत्र 5, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010 (चैत्र 5, 1932)

क्र. 7208-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 231 के उपनियम (5) के अनुसरण में सभा द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन, जो दिनांक 26 मार्च 2010 को पत्रक भाग-दो में प्रख्यापित होने पर प्रभावशील हुए. एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं :—

संशोधन क्रमांक-1

अध्याय-7.—प्रश्न शीर्षक के अन्तर्गत विद्यमान नियम 51 के परन्तुक के पश्चात् नवीन नियम 51-क पार्श्वशीर्ष सहित निम्नानुसार अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

उत्तर पटलित न होने की दशा में प्रकरण जांच हेतु समिति को सौंपा जाना.

"51-क.—जिन प्रश्नों के उत्तर नियम 51 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर नहीं रखे गये हों उन प्रश्नों को अनुवर्ती सत्र उपरांत प्रश्न एवं संदर्भ समिति को नियम 234-घ घ की अपेक्षानुसार जांच, परीक्षण व अनुशंसा हेतु सौंपा जा सकेगा.".

संशोधन क्रमांक-2

अध्याय-21.—विशेषाधिकार शीर्षक के अन्तर्गत विद्यमान नियम 169 के पश्चात् नवीन नियम 169-क निम्नानुसार अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"नियम 169-क. विशेषाधिकार भंग संबंधी किसी सूचना की ग्राह्यता या अग्राह्यता या प्रकरण को अध्यक्ष द्वारा जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने की सूचना संबंधितों को दी जाएगी.".

संशोधन क्रमांक-3 (क)

अध्याय-22.—सभा समितियां शीर्षक के खण्ड (छछ) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के नियम 223-ख के पश्चात् नवीन नियम 223-ग निम्नानुसार अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

तृतीय अनुसूची में नवीन उपक्रमों को सम्मिलित किये जाने एवं परिसमापन के सम्बन्ध में प्रक्रिया.

"223-ग. ऐसे समस्त सरकारी उपक्रम जिन्हें समय-समय पर भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक अथवा सिविल) में समिति के परीक्षण हेतु सम्मिलित किया गया हो या सम्मिलित किया जाए अथवा ऐसे अन्य सरकारी उपक्रम जो कम्पनी अधिनियम, राज्य अधिनियम के अन्तर्गत गठित हों अथवा केन्द्र एवं राज्य शासन के संयुक्त उपक्रम हों और उपर्युक्तानुसार गठित ऐसे उपक्रम भी जिनके वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर पटलित किए जाएं उन्हें भी सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की अनुशंसा एवं अध्यक्ष के अनुमोदन से उक्त समिति के परीक्षण के अधिकार के अन्तर्गत लिया जा सकेगा. ऐसे उपक्रमों को तृतीय अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के लिए नियम समिति की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होगी.

इसी प्रकार किसी उपक्रम के वैधानिक तरीके से परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण होने पर उसे उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार समिति की अनुशंसा एवं अध्यक्ष के अनुमोदन से समिति की परीक्षणाधीन उपक्रमों की सूची से पृथक् किया जा सकेगा. इस प्रकार ऐसे उपक्रमों को अन्त:स्थापित किए जाने अथवा विलोपित किए जाने के संबंध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति से नियम समिति को सूचना प्राप्त होने पर तृतीय अनुसूची को यथास्थिति संशोधित किया जा सकेगा.".

संशोधन क्रमांक-3 (ख)

विद्यमान तृतीय अनुसूची के स्थान पर नवीन तृतीय अनुसूची निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:—

"[तृतीय अनुसूची]

(देखिये नियम 223-क)

सरकारी उपक्रमों की सूची

भाग-1 सांविधिक निगम

(मध्यप्रदेश/केन्द्र अधिनियम अन्तर्गत गठित)

1. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल
2. मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम
3. मध्यप्रदेश वित्त निगम
4. मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन
5. मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग.

भाग-2

(मध्यप्रदेश अधिनियम अन्तर्गत गठित)

1. मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम
2. मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम
3. मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम
4. मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम
5. मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
6. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल.

भाग-3

(कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित)

1. मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड
2. मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसीलिटेशन कारपोरेशन मर्यादित
3. मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित
4. पीथमपुर आटो क्लस्टर प्रा. लिमिटेड
5. मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम मर्यादित
6. क्रिस्टल आई. टी. पार्क, इन्दौर लिमिटेड
7. मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम मर्यादित
8. मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित
9. मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड
10. मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित
11. मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
12. मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) मर्यादित
13. मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) मर्यादित
14. मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) मर्यादित
15. मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) मर्यादित
16. इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (ग्वालियर) मर्यादित
17. सेज इन्दौर मर्यादित
18. मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित
19. मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित
20. मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मर्यादित
21. मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम
22. दि प्रॉविडेन्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी मर्यादित
23. मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित
24. मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम मर्यादित
25. मध्यप्रदेश विद्युत् पारेषण कंपनी मर्यादित
26. मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी मर्यादित
27. मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी मर्यादित
28. मध्यप्रदेश विद्युत् उत्पादन कम्पनी मर्यादित
29. मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी मर्यादित
30. शाहपुरा ताप विद्युत् कम्पनी मर्यादित
31. मध्यप्रदेश विद्युत् वितरण कम्पनी मर्यादित

32. इन्दौर शहर परिवहन सेवाएं मर्यादित

33. जबलपुर शहर परिवहन सेवाएं मर्यादित

34. भोपाल सिटी लिंक मर्यादित

अकार्यशील कम्पनियां

1. मध्यप्रदेश उद्‌वहन सिंचाई निगम मर्यादित

2. मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड

3. मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम मर्यादित

4. मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित

5. मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित

6. आप्टेल टेली कम्यूनिकेशन लिमिटेड

7. मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल्स कार्पोरेशन

8. मध्यप्रदेश सेतु निर्माण निगम मर्यादित

9. मध्यप्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम मर्यादित.''.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2010